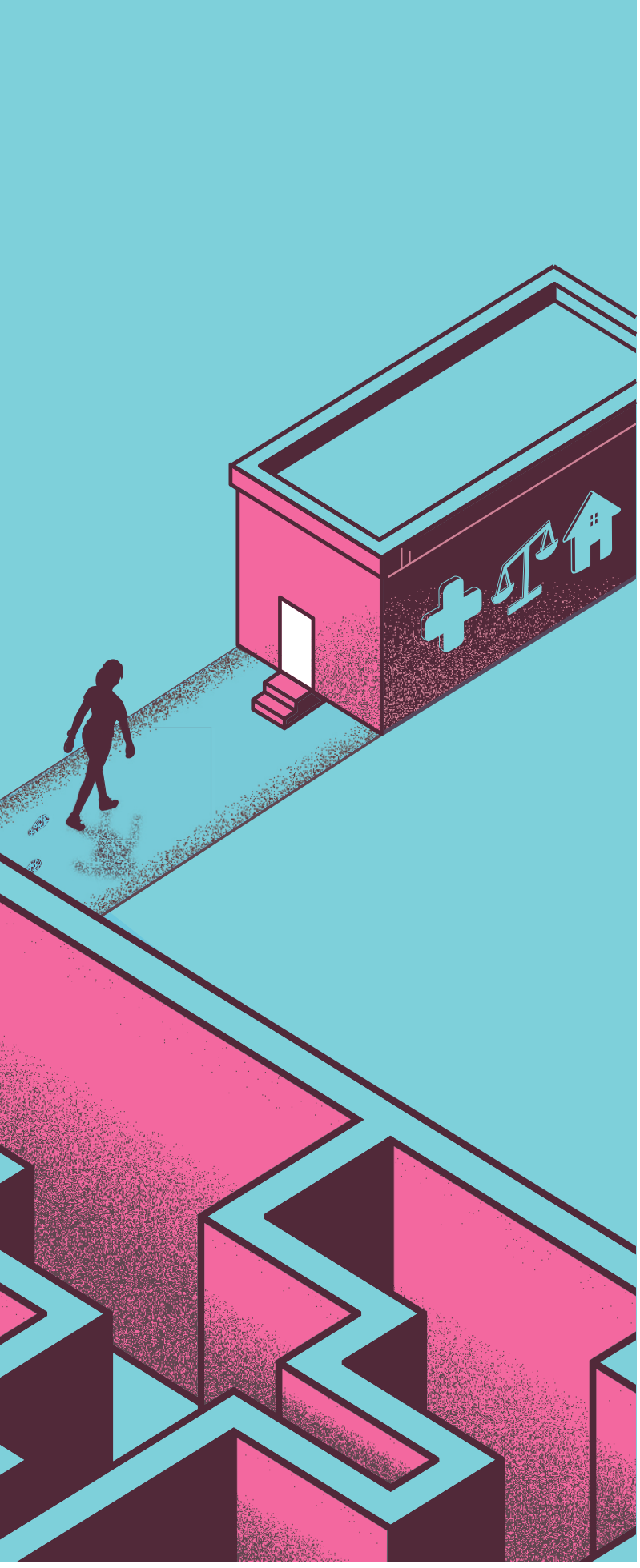

रिपोर्ट सारांश

लिंग आधारित हिंसा तथा मानव तस्करी की जांच और समर्थन सेवाओं का अनुकूलन

भारत

दा एशिया फाउंडेशन, भारत

FXB INDIA SURAKSHA
ENDING POVERTY, RESTORING DIGNITY

The Asia Foundation
Improving Lives, Expanding Opportunities

विषय सूची

अध्याय 1 **3**

परिचय 3

कार्यप्रणाली और डेटा संग्रह 3

अध्याय 2 **4**

व्यक्तियों के अवैध व्यापार और लिंग आधारित हिंसा को समझ 4

प्रमुख निष्कर्ष 4

भारत में मानव तस्करी के रुझान और पैटर्न 4

लिंग आधारित हिंसा की प्रवृत्तियां 5

मानव तस्करी और लिंग आधारित हिंसा की समझ 5

मानव तस्करी, तस्करी, प्रवासन और उनके प्रतिच्छेदन की समझ 6

मानव तस्करी और लिंग आधारित हिंसा पीड़ितों की जांच और पहचान की चुनौतियां 6

प्रमुख सिफारिशें 7

अध्याय 3 **9**

मानव तस्करी और लिंग आधारित हिंसा पर कानूनी ढांचे 9

कानूनी ढांचे में खामियां और चुनौतियां 9

प्रमुख निष्कर्ष 10

अध्याय 4 **11**

मानव तस्करी और लिंग आधारित हिंसा पर सेवाएं और सेवा वितरण ढांचा 11

मौजूदा सेवा वितरण ढांचा 11

सेवा प्रदान करने में चुनौतियाँ 13

मानव तस्करी और लिंग आधारित हिंसा पीड़ितों का पुनर्वास और पुनर्मिलन 13

मानव तस्करी और लिंग आधारित हिंसा के मामलों में आपराधिक न्याय प्रदायगी 14

लिंग आधारित हिंसा और मानव तस्करी पीड़ितों के लिए सेवाओं का एकीकरण या पृथक्करण 14

प्रमुख सिफारिशें 15

इस शोध को यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट के अनुदान द्वारा वित्त पोषित किया गया था। यहां प्रस्तुत विचार, जानकारियां और निष्कर्ष लेखक के हैं, और जरूरी नहीं कि वे संयुक्त राज्य अमेरिका के राज्य विभाग से मेल खाते हों।

FXB INDIA SURAKSHA
ENDING POVERTY, RESTORING DIGNITY

The Asia Foundation
Improving Lives, Expanding Opportunities

अध्याय 1

परिचय

मानव तस्करी और लिंग आधारित हिंसा गंभीर मानवाधिकार उल्लंघन हैं, जो असमानता और व्यवस्थित भेदभाव में गहराई से निहित हैं, जो समाज के कुछ समूहों यानी ज्यादातर दबे कुचले और कमजोर समुदायों को प्रभावित कर रहे हैं। लिंग आधारित हिंसा के विभिन्न रूप, जैसे कि सामाजिक भेदभाव, हानिकारक सांस्कृतिक प्रथाएं, हिंसा के विभिन्न रूप (पारिवारिक और परिवार के बाहर दोनों) व्यक्ति (विशेषकर महिलाओं और बच्चों) की तस्करी के प्रति संवेदनशीलता को बढ़ाते हैं। हालांकि, यह पहचानना अनिवार्य है कि जब मानव तस्करी और लिंग आधारित हिंसा संकट बढ़ रहा है, तो निवारण तंत्र– कानून प्रवर्तन और सेवा प्रावधान– राज्य और गैर–राज्य सेवा वितरण तंत्र में कमी की ओर इशारा करते हुए प्रतिक्रिया देने के लिए नाकाफी ढंग से तैयार हैं। भारत, नेपाल और श्रीलंका में आयोजित इस तीन देशों के शोध अध्ययन 'लिंग आधारित हिंसा और मानव तस्करी की जांच और समर्थन सेवाओं का अनुकूलन' का उद्देश्य मानव तस्करी और लिंग आधारित हिंसा पीड़ितों के लिए सेवाओं को एकीकृत या अलग करने में आशाजनक प्रथाओं, खामियों और चुनौतियों की पहचान करना है ताकि जांच और समर्थन सेवाओं का अनुकूलन किया जा सके।

यह अध्ययन संयुक्त राज्य अमेरिका के राज्य विभाग (जे/मानव तस्करी) द्वारा समर्थित एक 18 महीने की शोध परियोजना के हिस्से के रूप में आयोजित किया गया है और भारत में एफएक्सबी इंडिया सुरक्षा (एफएक्सबी आई एस) के साथ साझेदारी में एशिया फाउंडेशन द्वारा तैयार किया गया था। विशाल भूगोल के मद्देनजर, एक अखिल भारतीय अध्ययन महत्वाकांक्षी और समय लेने वाला दोनों होता, इसलिए छह राज्यों, अर्थात् – दिल्ली, गोवा, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और मणिपुर – को अधिक व्यापक कवरेज के लिए चुना गया

- ### कार्यप्रणाली और डेटा संग्रह

  यह अध्ययन 1) माध्यमिक डेटा और साहित्य विश्लेषण, 2) कानूनी ढांचे के अध्ययन और, 3) प्रमुख सूचनादाता साक्षात्कार (केआईआई), फोकस समूह चर्चा (थ्ळके), और क्षेत्र से एकत्र किए गए केस स्टडी के माध्यम से किए गए प्राथमिक क्षेत्र अनुसंधान के विश्लेषण पर आधारित है।

  केआईआई के लिए पहचाने गए हितधारक थे – कानून प्रवर्तन अधिकारी (पुलिस, न्यायिक अधिकारी और सरकारी वकील), सेवा प्रदाता (एनजीओ, आश्रय गृह, सरकारी अधिकारी) और, मानव तस्करी और लिंग आधारित हिंसा के शिकार। चयनित राज्यों के प्रमुख हितधारक केआईआई शुरू करने से पहले माप लिए गए थे। कोविड–19 महामारी और इसके परिणाम स्वरूप लगे लॉकडाउन के कारण क्षेत्र अनुसंधान की राह में कई चुनौतियाँ थीं, जिन्होंने सीधे आमने–सामने साक्षात्कार और प्रत्यक्ष सामूहिक चर्चाओं की अनुमति नहीं दी। इस प्रकार संपूर्ण केआईआई और एफजीडी प्रक्रिया को ऑनलाइन प्रक्रिया में रूपांतरित कर दिया गया और क्षेत्र अनुसंधान पूरा किया गया। सेवा प्रदाताओं के साथ कुल 70 साक्षात्कार और एक एफजीडी आयोजित किए गए।

अध्याय 2

मानव तस्करी और लिंग आधारित हिंसा की समझ

अध्याय 2 वर्तमान परिदृश्य और भारत में मानव तस्करी और लिंग आधारित हिंसा, शब्दावली से जुड़े परिभाशागत मुद्दों की बारीकियों से संबंधित है – मसलन, प्रवासियों की तस्करी और प्रवासन, जो स्वाभाविक रूप से भिन्न होते हैं लेकिन अक्सर (गलतीवष), मानव तस्करी के साथ परस्पर घालमेल कर लिए जाते हैं, साथ ही मानव तस्करी के पीड़ितों की विभिन्न श्रेणियों पर वैचारिक स्पष्टता और उत्तरदाताओं की समझ, तथा पीड़ितों की जांच और पहचान में आने वाली बाधाओं और चुनौतियों की पहचान के साथ संपन्न होता है।

प्रमुख निष्कर्ष

भारत में मानव तस्करी के रुझान और पैटर्न[1]

- मानव तस्करी की बढ़ती प्रवृत्ति के मद्देनजर – पिछले कुछ वर्षों (2015 से 2019[2]) में भारत में अपराध की खबरों से पता चलता है कि 2017 और 2018 के पिछले रिपोर्टिंग वर्षों की तुलना में वर्ष 2019 में 6,616 व्यक्तियों की तस्करी के साथ तस्करी के मामले बढ़े हैं। यहां तक कि तस्करी और बचाए गए व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि के बावजूद, सजा की दर 2019 में 29.4 प्रतिशत की तुलना में 22 प्रतिशत तक गिर गई। इस अध्ययन के लिए चयनित राज्यों में, महाराश्ट्र देष में सर्वोच्च स्थान पर रहा जहां साल 2018 और 2019 में आईपीसी के तहत मानव तस्करी मामलों की संख्या सर्वाधिक रही।

- मानव तस्करी की कार्यप्रणाली और स्थानों में बदलाव – कार्यप्रणाली और अवैध व्यापार के स्थान रूप बदल रहे हैं, और नए उभरते रुझानों को अवैध व्यापार के लिए ऑनलाइन मोड के रूप में देखा जा रहा है जो या तो पारंपरिक तरीकों की जगह ले रहे हैं या पीड़ितों को फंसाने के लिए पारंपरिक तरीकों के साथ–साथ उपयोग किए जा रहे हैं। युवा लोगों को तस्करी की हालत में फंसाने के लिए अपराधी इंटरनेट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक आदि का तेजी से उपयोग कर रहे हैं। भर्ती करना, फुसलाना, और मौद्रिक लेन–देन ऑनलाइन (विशेषकर व्यावसायिक यौन शोषण (सीएसई) के मामलों में) हो रहे हैं, जिससे तस्करों का पता लगाना और उनकी पहचान करना बेहद मुश्किल हो गया है। पारंपरिक वेश्यालय आधारित शोषण भी सीएसई के लिए निजी अपार्टमेंट, लॉज /होटल, ब्यूटी और मसाज पार्लरों में स्थानांतरित हो रहा है, और जबरन श्रम के लिए अनौपचारिक कार्यस्थल।

---

1 विस्तृत जानकारी के लिए अध्याय 2 में खंड 2.2 का संदर्भ लें।

2 भारत में अपराध 2020 रिपोर्ट अध्ययन को अंतिम रूप देने की तिथि पर उपलब्ध नहीं है।

लिंग आधारित हिंसा की प्रवृत्तियां[3]

- महिलाओं के खिलाफ अपराधों की बढ़ती प्रवृत्ति –भारत में अपराध की रिपोर्ट 2019 महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मामलों में वृद्धि का संकेत देती है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 7.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है। 2019 में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के अधिकांश मामले 'पतियों और रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता', 'महिलाओं पर उनका शील भंग करने के इरादे से हमला', 'महिलाओं का अपहरण और भगा ले जाना, और 'बलात्कार' की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज किए गए थे। इस अध्ययन के लिए चयनित राज्यों में, महाराष्ट्र में 2019 में सबसे अधिक लिंग आधारित हिंसा मामले थे, इसके बाद मध्य प्रदेश, दिल्ली, केरल, गोवा और मणिपुर के नाम आते हैं।

- लिंग आधारित हिंसा से निपटने में समावेशिता की कमी – फील्ड साक्षात्कारों से पता चला कि लिंग आधारित हिंसा को संकीर्ण ढंग से महिलाओं के खिलाफ हिंसा के रूप में समझा जाता है और पुरुषों और अन्य लिंगों द्वारा सामना की जाने वाली हिंसा की उपेक्षा करता है, विशेष रूप से अंतर–वैयक्तिक संबंधों में। लिंग मानदंड, सामाजिक कलंक और शर्म पुरुषों को पति–पत्नी और अन्य हिंसा के 'पीड़ित' के रूप में पहचाने जाने में बाधक हैं। ट्रांसजेंडर समुदाय अपनी 'अपुश्टिकारी' सामाजिक पहचान के कारण अपने परिवारों के भीतर और बाहर अत्यधिक हिंसा का सामना करते हैं। इस शोध से पता चलता है कि ऐसे मामलों की कम रिपोर्टिंग होती है, क्योंकि वे 2019 के नए ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम के अलावा, आधिकारिक आंकड़ों और कानूनी ढांचे में शामिल नहीं किए गए हैं।

मानव तस्करी और लिंग आधारित हिंसा की समझ[4]

- उत्तरदाताओं में मानव तस्करी और लिंग आधारित हिंसा की अवधारणात्मक स्पष्टता – हालांकि उत्तरदाताओं को लिंग आधारित हिंसा के विभिन्न रूपों (शारीरिक, यौन, मनोवैज्ञानिक, आर्थिक) के बारे में पता है, मगर उनमें से अधिकांश इसे घरेलू हिंसा से जोड़ते हैं। हालांकि, सभी उत्तरदाताओं ने खुलकर स्वीकार किया है कि लिंग आधारित हिंसा से प्रभावित महिलाओं की एक बड़ी संख्या है। हितधारकों ने बड़े पैमाने पर वैचारिक स्पष्टता और मानव तस्करी की समझ का प्रदर्शन किया, जबकि कुछ ने तस्करी को केवल वेश्यावृत्ति के जोड़ा।

- लिंग आधारित हिंसा और मानव तस्करी के बीच अंतरानुभागीयता – यह शोध लिंग आधारित हिंसा और मानव तस्करी के बीच सुनिष्चित अंतरानुभागीयता और उस प्रभाव पर ध्यान देता है जो एक का दूसरे पर पड़ा है। लिंग आधारित हिंसा का अनुभव करने वाले व्यक्तियों को निरंतर हिंसा, दुर्व्यवहार और शोषण का सामना करना पड़ता है, जो अक्सर उनकी तस्करी किए जाने के मुकाम पर ले जाता है। तथापि, तस्करी की स्थिति में लिंग आधारित हिंसा के बारे में समझ अपर्याप्त है।

---

3 विस्तृत जानकारी के लिए अध्याय 2 में खंड 2.3 का संदर्भ लें।

4 विस्तृत जानकारी के लिए अध्याय 2 में खंड 2.4 का संदर्भ लें।

लिंग आधारित हिंसा और मानव तस्करी पीड़ितों के बीच अनुभवों की समानता पर समझ – उत्तरदाताओं द्वारा रेखांकित किए गए सामान्य अनुभव दुर्व्यवहार के विभिन्न रूप थे – मनोवैज्ञानिक, शारीरिक, यौनिक, श्रम, मजदूरी संबंधी, तनाव, जबरदस्ती, और अन्य कारक जैसे कि– पुरुष अपराधी (ज्यादातर), पीड़ितों में खुद को बहुत बदतर मानने की समझ, खुद के जीवन पर नियंत्रण की कमी, पारिवारिक सहयोग न मिलना, विश्वास की कमी, और समाज में गलत समझे जाने की भावना। कुछ लोगों का मानना था कि लिंग आधारित हिंसा और मानव तस्करी के शिकार लोगों की यात्रा बहुत अलग होती है, जिसमें मानव तस्करी को लिंग आधारित हिंसा की तुलना में अधिक 'दर्दनाक' तकलीफों का सामना करना पड़ता है, और लिंग आधारित हिंसा पीड़ित की तुलना में अलग अलग किस्म के अपराधियों का सामना करना पड़ता है।

मानव तस्करी, तस्करी, प्रवासन और उनके प्रतिच्छेदों की समझ[5]

- तीनों अवधारणाओं को समझने में स्पष्टता की कमी – इन तीनों अवधारणाओं के संबंध में पहले उत्तरदाताओं के बीच वैचारिक स्पष्टता की सामान्य कमी पाई गई, जिससे सीमा पार करने वाले लोगों को रोकने/पकड़ने में असमान प्रतिक्रियाएं हुईं। इससे आम तौर पर कमजोर लोगों और तस्करी के वास्तविक पीड़ितों के बीच अंतर को समझने की उनकी क्षमता और दोनों श्रेणियों के प्रति वांछित प्रतिक्रियाओं को प्रभावित किया। इस तरह की गलत धारणाएं लोगों की गतिशीलता और काम के लिए उनके पलायन करने की क्षमता को प्रभावित करती हैं, खासकर महिलाओं के मामले में।

मानव तस्करी और लिंग आधारित हिंसा पीड़ितों की जांच और पहचान की चुनौतियां[6]

- स्क्रीनिंग और पहचान के लिए उपयुक्त प्रोटोकॉल का अभाव – भारत में मानव तस्करी और लिंग आधारित हिंसा के पीड़ितों की पहचान के लिए मानक प्रोटोकॉल और संकेतक नहीं हैं। हालांकि कुछ एसओपी और प्रोटोकॉल विभिन्न सरकारी व गैर–सरकारी एजेंसियों द्वारा समय–समय पर जारी किए जाते हैं, लेकिन वे मानव तस्करी के पीड़ितों की पहचान पर केंद्रित नहीं होते हैं। इसके अलावा, एलईओ ने प्रसार के मुद्दों व इन प्रोटोकॉल के बारे में जानकारी की कमी होने की सूचना दी है।

- एलईओ के सावधानीपूर्वक प्रशिक्षण का अभाव – अधिकांश साक्षात्कार किए गए एलईओ और सीमा अधिकारियों ने, प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने वाली अनेक सरकारी व गैर–सरकारी एजेंसियों के बावजूद, लिंग आधारित हिंसा और/या मानव तस्करी पर काम करने से पहले कोई प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया था। हालांकि हाल के दिनों में, विशेष रूप से पुलिस के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों की दर और तीव्रता में वृद्धि हुई है, लेकिन खराब फालोअप की कार्रवाई उन्हें अस्थिर बनाती है। प्रशिक्षण कार्यक्रमों और

---

5 विस्तृत जानकारी के लिए अध्याय 2 में खंड 2.5 का संदर्भ लें।

6 विस्तृत जानकारी के लिए अध्याय 2 में खंड 2.7 का संदर्भ लें।

जमीन पर उनके वास्तविक प्रभाव का शायद ही कोई मूल्यांकन और आंकलन होता है।

- हितधारकों के बीच समन्वय और सहयोग की कमी – हितधारकों के बीच अलगाव में काम करने की प्रवृत्ति और मानव तस्करी और लिंग आधारित हिंसा से निपटने वाली विशेष इकाइयों के बीच समन्वय की कमी जांच और पहचान प्रक्रिया को प्रभावित करती है।
- पीड़ितों और स्थानीय समुदाय से सहयोग की कमी – स्क्रीनिंग और पहचान की प्रक्रिया के दौरान और अदालतों में भी असहयोग करने वाले पीड़ितों की पहचान विभिन्न हितधारकों द्वारा एक बड़ी चुनौती के रूप में की गई थी।

प्रमुख सिफारिशें

सरकार के लिए

मानव तस्करी के लिए संवेदनशील क्षेत्रों और हॉटस्पॉट का मानचित्रण

- गैर–सरकारी संगठनों के साथ मिलकर सुभेद्यता मानचित्रण, जिससे कि मानचित्रण द्वारा तस्करी के लिए संवेदनशील क्षेत्रों और/या हॉटस्पॉट की पहचान के लिए – क) मौजूदा संवेदनशील क्षेत्र, ख) अत्यधिक संवेदनशील क्षेत्र, और ग) संभावित रूप से संवेदनशील क्षेत्र – अवैध व्यापार की रोकथाम के लिए केंद्रित रणनीति तैयार करने की दिशा में।
- उन कारकों के लिए क्षेत्र–विशिष्ट समाधानों की योजना बनाकर और उन्हें क्रियान्वित करते हुए रोकथामपूर्ण उपायों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए जो समुदायों के भीतर, विशेष रूप से कमजोर क्षेत्रों में प्रथम स्थान पर कमजोरियां पैदा करते हैं।

दिशानिर्देश और प्रोटोकॉल

- मानकीक्त दिषा निर्देष और प्रोटोकाल तैयार किए जाएं और उन्हें सभी संबंधित एजेंसियों, जैसे कि पुलिस, सीमा और आव्रजन अधिकारियों, श्रम निरीक्षकों, किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के तहत अधिकारियों, स्वास्थ्य पेशेवरों, और अन्य के लिए मानव तस्करी पीड़ितों की जांच और पहचान के लिए उपलब्ध कराया जाए।
- नए कानूनों और मौजूदा कानूनों में संशोधनों को शामिल करते हुए मानव तस्करी के मामलों की जांच और अभियोजन पर मौजूदा एसओपी और प्रोटोकॉल को अपग्रेड किया जाए।

कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए

पीड़ितों की जांच और पहचान तथा आपराधिक न्याय आपूर्ति की दक्षता बढ़ाने की दिशा में प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के जरिए कानून प्रवर्तन प्रतिक्रियाओं को मजबूत करना

- मानव तस्करी और लिंग आधारित हिंसा और उनके प्रतिच्छेदनों से संबंधित अवधारणागत मुद्दों की समग्र समझ के लिए पुलिस, अभियोजकों और न्यायिक अधिकारियों में जागरूकता बढ़ाने हेतु प्रशिक्षण, मानव तस्करी मामलों में 'सहमति', तस्करों के तौर–तरीकों और तस्करी के नए उभरते रुझानों पर प्रशिक्षण। सीमा अधिकारियों के लिए मानव तस्करी के पीड़ितों तथा समग्र सीमा प्रबंधन क्षमताओं के मद्देनजर संवेदनशील परिस्थितियों में रहने वाले लोगों की जांच और पहचान करने से संबंधित अनिवार्य प्रशिक्षण आयोजित किया जाना चाहिए।

- मानव तस्करी और लिंग आधारित हिंसा की बारीकियों और एक दूसरे पर उनके प्रभाव को समझने की दिशा में प्रशिक्षण कार्यक्रमों के एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में लिंग संवेदीकरण को शामिल किया जाए। प्रशिक्षण को न केवल महिलाओं द्वारा सामना किए जाने वाले लिंग आधारित हिंसा पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, बल्कि पुरुषों और अन्य लिंगों पर भी ध्यान देना चाहिएय और सामाजिक–सांस्कृतिक मानदंडों के आधार पर पूर्वकल्पित धारणाओं और पूर्वाग्रहों का समाधान करना चाहिए।

- पुलिस, अभियोजकों व न्यायिक अधिकारियों के लिए कानूनी ढांचे के बारे में प्रशिक्षण हो ताकि, मानव तस्करी और लिंग आधारित हिंसा और उनके व्यावहारिक अनुप्रयोग पर कानूनों के मूल और प्रक्रियात्मक पहलुओं पर गहन समझ बनाने के लिए और दृढ़ हुआ जा सके।

- प्रषिक्षण प्रेरणा उत्पन्न करने और भागीदारी में शामिल करने के लिए पुलिस अधिकारियों के पेशेवर उन्नयन से जुड़ा हो। मानव तस्करी रोधी इकाइयों (एएचटीयू), महिला प्रकोष्ठों, वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर्स (ओएससीसी) और अन्य समान इकाइयों को ऐसे प्रशिक्षित अधिकारियों को सौंपा जाना चाहिए जहां वे अपने प्रशिक्षण को व्यावहारिक उपयोग में ला सकें।

- क्षेत्रीय स्तर पर सीखने की व्यावहारिक प्रभावशीलता और उपयोगिता को मापने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों के साथ निगरानी व प्रभाव आकलन तैयार किया जाना चाहिए।

सेवा प्रदाताओं के लिए

जनता में और समुदायों के बीच जागरूकता पैदा करना

- सरकार के सहयोग से, समुदायों और जनता के भीतर मानव तस्करी पर संवेदनषीलता बढ़ाना, विशेष रूप से अवैध व्यापार करने वालों के तौर–तरीकों को रेखांकित करते हुए।

- सरकार के सहयोग से, मौजूदा व उपलब्ध सेवाओं के बारे में जागरूकता उत्पन्न करना ताकि पीड़ितों को उन तक पहुंचने में सक्षम बनाया जा सके।

साक्षात्कार पीड़ितों ने समुदाय के नेताओं (ग्राम प्रधानों / पंचायत सदस्यों) की भागीदारी की सिफारिश की, विशेष रूप से समुदाय में मौजूदा सहायता केंद्रों के बारे में जानकारी के प्रसार में।

- ग्राम अगुआवों / पंचायतों व धार्मिक नेताओं की भागीदारी के साथ मजबूत समुदाय–आधारित निगरानी हो ताकि वे ग्राम स्तर पर मानव तस्करी को रोकने में प्रभावी प्रथम प्रतिक्रियाकर्ता बन सकें।

अध्याय 3

मानव तस्करी और लिंग आधारित हिंसा पर कानूनी ढांचे

यह अध्याय कानूनी ढांचे में मौजूदा कानूनों, कमियों और चुनौतियों के विश्लेषण से संबंधित है और सरकारी योजनाओं व नीतियों का एक संक्षिप्त विवरण देता है जो मानव तस्करी और लिंग आधारित हिंसा के संदर्भ में परिचालित हैं। मानव तस्करी और लिंग आधारित हिंसा पर उच्च न्यायालयों द्वारा दिए गए कुछ ऐतिहासिक निर्णयों की संक्षिप्त जानकारी प्रदान करते हुए अध्याय समाप्त होता है।

प्रमुख निष्कर्ष

कानूनी ढांचे में खामियां और चुनौतियां[7]

- व्यापक मानव तस्करी कानून का अभाव – भारत में मानव तस्करी पर एक व्यापक विषेश कानून का अभाव है।[8] यह कानून प्रवर्तन अधिकारियों को अपराध को स्थापित करने के लिए भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं व विभिन्न अधिनियमों का उपयोग करने के लिए ''मजबूर'' करता है, जो बदले में विभिन्न कानूनों की उपयुक्तता पर अस्पष्टता पैदा करता है।

- अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम (आईटीपीए), 1956 में कमियां – हालांकि आईटीपीए का प्रमुख उद्देश्य, जीवन जीने के एक संगठित साधन के बतौर, वेष्यावृत्ति के उद्देष्य से महिलाओं व लड़कियों की तस्करी को रोकना है और खरीददारों, तस्करों और देह–व्यापार के मुनाफाखोरों का अपराधीकरण करके किसी भी व्यक्ति के सीएसई को दबाना है। कानून स्वयं तस्करी को परिभाषित नहीं करता है। यह कानून तस्करी के अन्य रूपों की अनदेखी करते हुए केवल एक प्रकार की तस्करी यानी सीएसई पर ध्यान केंद्रित करता है। आईपीसी की धारा 370 की मानव तस्करी की एक नई परिभाषा के जरिए आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम 2013 के अधिनियमन द्वारा कुछ हद तक आईटीपीए की कमियों को संबोधित किया गया है।

- बच्चे की कानूनी आयु परिभाषाओं में असंगति – यद्यपि किशोर न्याय अधिनियम, 2015 और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012, एक बच्चे को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित करता है जिसने अठारह वर्ष की आयु पूरी नहीं की है, अन्य कानून जैसे कि बाल श्रम अधिनियम,

---

7 विस्तृत जानकारी के लिए अध्याय 3 में खंड 3.4 का संदर्भ लें।

8 सरकार वर्तमान में व्यक्तियों की तस्करी (रोकथाम, देखभाल और पुनर्वास) विधेयक, 2021 के मसौदे पर सुझाव मांग रही है।

1986 और आईटीपीए, 1956 में बच्चे को परिभाषित करने के लिए अलग–अलग आयु सीमाएँ हैं। यह कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच स्पष्टता की तुलना में भ्रम अधिक पैदा करता है, विशेष रूप से श्रम के लिए बाल तस्करी से जुड़े मामलों में।

- 'सहमति' की असमान समझ – तस्करी के मामलों में 'सहमति' की स्पष्ट समझ की कमी, विशेष रूप से कानून प्रवर्तन अधिकारियों की प्रतिक्रियाओं में, एक बड़ी चुनौती के रूप में उभरती है। मानव तस्करी मामलों में 'सहमति' (जैसा कि धारा 370 आईपीसी में परिभाषित किया गया है) को सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों के कारण असमान रूप से समझा जाता है, और साथ ही तस्करों के तौर–तरीकों की समझ संबंधी कमी के कारण भी, जिसके कारण मामले दर्ज नहीं किए जाते हैं। समझ की इस कमी के कारण कभी–कभी नाबालिगों को किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के सुरक्षात्मक प्रावधानों के तहत विचार किए जाने के बजाय आईटीपीए के तहत आरोपी के रूप में आरोपित किया जाता है।

- लिंग आधारित हिंसा से जुड़ी कानूनी विसंगतियां – एक व्यापक मानव तस्करी कानून की अनुपस्थिति के समान, देश में लिंग आधारित हिंसा मामलों से निपटने के लिए एक समग्र कानून का भी अभाव है। इसके अलावा, यौन हिंसा के मामलों में बचाव में जो सहमति दी जाती है, उसे कभी–कभी उचित रूप से नहीं समझा जाता है। उत्तरदाताओं ने पहचाना कि भारतीय कानूनी ढांचा प्रकृति में महिला केंद्रित है और सामाजिक–सांस्कृतिक मानदंडों और व्यवहारों के कारण (वयस्क) पुरुष और ट्रांसजेंडर के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिए भारी लिंग भेद को दर्शाता है।

  कानूनों के उचित कार्यान्वयन का अभाव – मौजूदा कानून आम तौर पर मानव तस्करी और लिंग आधारित हिंसा से निपटने के लिए पर्याप्त पाए जाते हैं। हालांकि, उनका कार्यान्वयन, उनके हालिया संशोधनों पर पर्याप्त कानूनी ज्ञान व प्रशिक्षण की कमी को देखते हुए, चुनौतीपूर्ण है। इसके अलावा मानव तस्करी मामलों की जांच और मुकदमे लंबे समय तक चलने वाले होते हैं, जिसके कारण अक्सर पीड़ित मुकर जाते हैं और न्याय वितरण प्रणाली में विश्वास खो देते हैं।

प्रमुख सिफारिशें

सरकार के लिए

सुदृढ़ कानूनी और नीतिगत ढांचा

- मानव तस्करी और लिंग आधारित हिंसा पर व्यापक कानून बनाने की जरूरत है, जो मानव तस्करी और लिंग आधारित हिंसा दोनों पर समग्र और विशिष्ट कानून हो, ताकि मानव तस्करी और / या लिंग आधारित हिंसा के मामलों की जांच के लिए विभिन्न कानूनों को लागू करने की आवश्यकता को समाप्त किया जा सके।

- मानव तस्करी की व्यापक परिभाषा को शामिल करते हुए आईटीपीए, 1956 में संशोधन और वेश्यावृत्ति में शामिल पीड़ितों के अपराधीकरण की धारा को हटाना।

- अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम, 1956 के तहत त्वरित सुनवाई के लिए लिंग आधारित हिंसा मामलों के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें और विशेष अदालतें स्थापित की जानी चाहिए।

- मानव तस्करी और लिंग आधारित हिंसा पर सभी कानूनों का कड़ाई से कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाना चाहिए, ताकि सफल दोशसिद्ध कार्रवाई अपराधियों के लिए चेतावनी का कार्य कर सके । मानव तस्करी रोधी इकाइयों की स्थापना सभी जिलों में की जानी चाहिए और इसे कार्यात्मक और प्रभावशाली बनाने के लिए पर्याप्त मानव और वित्तीय संसाधनों के साथ मजबूत किया जाना चाहिए।

अध्याय 4

मानव तस्करी और लिंग आधारित हिंसा पर सेवाएं और सेवा वितरण ढांचा

रिपोर्ट का चौथा अध्याय भारत में मानव तस्करी और लिंग आधारित हिंसा पीड़ितों के लिए विभिन्न सरकारी–अनिवार्य नीतियों व योजनाओं के तहत उपलब्ध मौजूदा सेवाओं पर केंद्रित है, और सेवा वितरण प्रणाली में शामिल विभिन्न हितधारकों को सूचीबद्ध करता है। अंत में, यह अध्याय मानव तस्करी और लिंग आधारित हिंसा पीड़ितों के लिए सेवाओं को एकीकृत या अलग करने से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न को संबोधित करता है।

मौजूदा सेवा वितरण ढांचा[9]

- मौजूदा वितरण ढांचा – मानव तस्करी और लिंग आधारित हिंसा पीड़ितों के लिए सेवाएं विभिन्न स्कीमों, सेवाओं, योजनाओं, नीतियों और सलाह के माध्यम से प्रदान की जाती हैं, जो अधिकांषतया महिला और बाल विकास मंत्रालय तथा कुछ गृह मंत्रालय और श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जाती हैं। एकीकृत मानव तस्करी रोधक इकाइयां, उज्जवला, स्वाधार, वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर, निर्भया फंड और विभिन्न मुआवजा योजनाओं जैसी योजनाएं रोकथाम, संरक्षण और अभियोजन से संबंधित मसलों को संबोधित करती हैं। हालांकि, उनकी प्रभावशीलता को मापने के लिए उनकी निगरानी, मूल्यांकन और प्रभाव मूल्यांकन संबंधी जानकारी में अंतर प्रतीत होता है। सरकारी योजनाएं और नीतियां पुरानी हैं और उनमें से कुछ नीतियों की परिचालन स्थिति के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। विभिन्न एजेंसियों के मौजूदा एसओपी ज्यादातर सेक्स और श्रम तस्करी के लिए हैं, जिनमें से कई पुराने हैं और नवीनतम कानूनी संशोधनों के साथ तालमेल नहीं रखते हैं। लिंग आधारित हिंसा के मामलों को संभालने के लिए कोई एसओपी नहीं है।

---

9 विस्तृत जानकारी के लिए अध्याय 4 में खंड 4.2 और 4.3 का संदर्भ लें।

- सेवाओं तक विभेदक पहुंच – भारत में सेवाओं तक पहुंच असमान है और यह मुख्य रूप से व्यक्ति के भूगोल और लिंग पर आधारित है। सेवाएं ग्रामीण व दूरस्थ क्षेत्रों की तुलना में शहरों या शहरी क्षेत्रों में अधिक केंद्रित हैं। अक्सर जिलों के भीतर सेवाओं / आश्रय गृहों की कमी होती है जो विशेष रूप से रात के दौरान किए जाने वाले बचाव प्रयासों (मानव तस्करी मामलों में) में बाधा डालती है। सीमाओं पर सेवाएं थोड़ी हैं और कोई आश्रय गृह उपलब्ध नहीं हैं, सीमा अधिकारियों ने मानव तस्करी पीड़ितों की सहायता के लिए मौजूदा सेवाओं की जानकारी की कमी की सूचना दी है। बच्चों के मामले को छोड़कर सभी लिंगों के लिए आश्रय गृह और सेवाएं उपलब्ध नहीं हैं। ट्रांसजेंडर पीड़ितों को आश्रय गृह / सेवाएं प्रदान करने हेतु किसी कानून या सरकारी योजना के तहत कोई प्रावधान निर्धारित नहीं हैं।

- सेवाओं तक पहुँचने में बाधाएँ – कई कारक सेवाओं तक पहुँचने में बाधाएँ पैदा करते हैं – जैसे, आम जनता और विशेष रूप से महिलाओं में सेवाओं की उपलब्धता से संबंधित जागरूकता की कमी, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, मौजूदा लैंगिक पूर्वाग्रहों व 'संवेदनशीलता की कमी' के कारण कानून प्रवर्तन अधिकारियों से मिलने वाली अपर्याप्त प्रतिक्रिया, प्रथम सूचना रिपोर्ट में देरी या उनका पंजीकरण न होना, कार्यात्मक एएचटीयू की कमी, हितधारकों के बीच सहयोग, संवाद और समन्वित कार्रवाई की कमी, मानव तस्करी पीड़ितों के दूरस्थ / मूल स्थान पर सेवाओं की अनुपलब्धता, लिंग आधारित हिंसा पीड़ित का स्वयं को हिंसा के 'पीड़ित के रूप में न पहचान पाना, विशेष रूप से घरेलू हिंसा के मामलों में, और अपराधियों से प्रतिशोध का डर, शर्म, कलंक, विश्वास की कमी और पीड़ितों को परिवार का साथ न मिलना।

- कोविड–19 महामारी के दौरान सेवाओं की सुलभता – महामारी के कारण लगाए गए लॉकडाउन के दौरान लिंग आधारित हिंसा मामलों में तेजी देखी गई। लॉकडाउन प्रतिबंधों ने मामलों की रिपोर्टिंग के साथ–साथ लिंग आधारित हिंसा पीड़ितों द्वारा मांगी जाने वाली सेवाओं की आपूर्ति को एक बड़ी चुनौती बना दिया क्योंकि वे प्रतिबंधित गतिशीलता के कारण सेवा प्रदाताओं तक नहीं पहुंच सके। संस्थानों में सोशल डिस्टेंसिंग की प्रक्रियाओं व क्वारंटाइन के लिए सीमित जगह होने के कारण शेल्टर होम सेवाएं प्रभावित हुईं, जिसके कारण नए दाखिले नहीं हो पाए। डेटा संग्रह के दौरान साक्षात्कार ने मानव तस्करी मामलों की संख्या में वृद्धि की भावी संभावना का सुझाव दिया क्योंकि महामारी ने मौजूदा कमजोरियों (विशेष रूप से बच्चों और किशोरों की) को बढ़ा दिया, नयी कमजोरियां पैदा कीं,, और पहले से ही नुकसानदेह आर्थिक परिस्थितियों में लोगों को और अधिक जोखिमपूर्ण और शोषणकारी स्थितियों में धकेल दिया। हितधारकों ने इस बात पर प्रकाश डाला कि महामारी के दौरान लिंग आधारित हिंसा और मानव तस्करी पीड़ितों के लिए प्रावधानों और सेवाओं तक पहुंच संबंधित कोई लिखित प्रोटोकॉल नहीं था।

- मानव तस्करी और लिंग आधारित हिंसा पीड़ितों को आश्रय गृहों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के प्रकार – पीड़ितों के लिए सेवाओं में आश्रय, मनो–सामाजिक सहायता, शारीरिक स्वास्थ्य देखभाल, पोषण, जीवन

कौशल, व्यावसायिक प्रशिक्षण और आर्थिक सुरक्षा, शिक्षा, पहचान दस्तावेज, कानूनी जानकारी और परामर्श, पुनर्वास, प्रत्यावर्तन, और अन्य सुविधाएं षामिल हैं। आश्रय गृह सरकार और गैर सरकारी संगठनों, दोनों द्वारा चलाए जाते हैं और पीड़ितों को या तो आश्रय गृह में रहने के दौरान या आश्रय गृह छोड़ने के बाद किसी एनजीओ /ओएससीसी से जुड़े रहने के बाद सेवाएं प्रदान की जाती हैं। सेवाएं और आश्रय केवल महिला पीड़ितों के लिए उपलब्ध हैं ये पुरुषों और अन्य लिंगों के लिए उपलब्ध नहीं हैं।

सेवा प्रदान करने में चुनौतियाँ[10]

- सेवा वितरण में बाधाएं – अनुसंधान ने सेवा वितरण के लिए पांच महत्वपूर्ण बाधाओं की पहचान की है –1) एनजीओ द्वारा संचालित आश्रय गृहों व सेवाओं को सरकार की उज्ज्वला तथा स्वाधार गृह योजनाओं के तहत समय पर बजट आवंटन प्राप्त नहीं होता है, 2) पुनर्वास सेवाएं व्यापक नहीं हैं। अक्सर पुनर्वास को 'परिवारों के साथ पुनर्मिलन' के रूप में समझा जाता है, भले ही पीड़ित की अपने मूल स्थान पर सेवाओं तक निरंतर पहुंच न हो, 3) आर्थिक पुनर्वास और टिकाऊ आय सृजन पर ध्यान नहीं दिया जाता है, 4) सेवा वितरण स्वाभाविक रूप से जटिल है। इसकी जटिल आवश्यकताओं से पार पाना उनकी पहुंच और प्रभावशीलता को सीधे प्रभावित करता है, 5) सेवाएं स्वीकार्य गुणवत्ता मानकों को पूरा नहीं करती हैं। हितधारकों के साथ साक्षात्कार से पता चलता है कि आश्रय घरों, विशेष रूप से सरकार द्वारा संचालित आश्रयों में अक्सर रहने की स्थिति खराब होती है और पीड़ितों को घटिया भोजन, कपड़े, स्वच्छता, आघात से प्रेरित देखभाल आदि प्राप्त होते हैं।

- सेवाओं के प्रति पीड़ितों की अवधारणा – साक्षात्कार किए गए पीड़ित (मानव तस्करी और लिंग आधारित हिंसा दोनों) आमतौर पर आश्रय गृह या गैर सरकारी संगठनों से प्राप्त सेवाओं से संतुष्ट थे लेकिन पुलिस और अभियोजकों से प्राप्त सेवाओं को लेकर असंतुष्ट थे। पीड़ितों ने विशेष रूप से उनकी आर्थिक स्वतंत्रता की दिशा में पुनर्वास सेवाओं में गंभीर कमियों को रेखांकित किया।

मानव तस्करी और लिंग आधारित हिंसा पीड़ितों[2] का पुनर्वास और पुनर्मिलन[11]

- सुव्यवस्थित प्रक्रियाएं – आश्रय गृहों और गैर सरकारी संगठनों में लिंग आधारित हिंसा व मानव तस्करी पीड़ितों दोनों के पुनर्वास और पुनर्मिलन के लिए उनके सीमित संसाधनों के भीतर सुव्यवस्थित प्रक्रियाएं पाई गईं। आईटीपीए, 1956 यौन तस्करी के शिकार मानव तस्करी (वयस्क) के लिए लागू है, और विशेष रूप से, जहां पीड़ित आश्रय गृहों में हैं, अदालत के आदेश सहायक एनजीओ की व्यक्तिगत देखभाल योजना के अनुरूप भविष्य की कार्रवाई का फैसला करते हैं। तस्करी के शिकार बच्चों के लिए, किशोर न्याय अधिनियम, 2015, अधिनियम के तहत स्थापित बाल कल्याण समितियों के जरिए उनके पुनर्वास के लिए विस्तृत प्रक्रिया निर्धारित करता है।

---

10 विस्तृत जानकारी के लिए अध्याय 4 में खंड 4.4.3.2 का संदर्भ लें।

11 विस्तृत जानकारी के लिए अध्याय 4 में खंड 4.4.4 का संदर्भ लें।

- पुनर्मिलन के लिए पीड़ितों की प्राथमिकता – लिंग आधारित हिंसा पीड़ित, ज्यादातर घरेलू हिंसा के मामले में, कानूनी कार्यवाही दर्ज करने के प्रति अनिच्छुक होते हैं और अक्सर परिवार के पुनर्वास की इच्छा रखते हैं। सीएसई के लिए मानव तस्करी पीड़ितों को अदालत के आदेश की अवधि के दौरान आश्रय गृहों में रहना पड़ता है और अक्सर परिवार की स्वीकार्यता न मिलने के कारण, या तो आश्रय गृहों में रहना पसंद करते हैं या अपने परिवारों के साथ या उनके बगैर समुदायों में पुनर्वास प्राप्त करना चाहते हैं।

मानव तस्करी और लिंग आधारित हिंसा के मामलों में आपराधिक न्याय प्रदायगी[12]

- मानव तस्करी और लिंग आधारित हिंसा मामलों में जांच और अभियोजन की चुनौतियां – प्रतिवादियों ने जांच और अभियोजन के लिए कई बाधाओं की सूचना दी, अर्थात् – कानून प्रवर्तन एजेंसियों व जिलों में महिला व बाल विकास विभागों तथा अन्य कल्याण सेवाओं के बीच संस्थागत तालमेल की कमी, अवैध व्यापार के शिकार हुए विदेषियों के मामलों में उनके प्रत्यावर्तन हेतु क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय समन्वय की कमी, मानव तस्करी और लिंग आधारित हिंसा मसलों व उनके कानूनी ढांचे के व्यापक कवरेज पर कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए असमान ज्ञान व प्रशिक्षण, प्रासंगिक विधेयकों में कमियां और विसंगतियां, और पीड़ितों से सहयोग की कमी, जो अक्सर देरी से जांच या परीक्षण के कारण 'शत्रुतापूर्ण' या उदासीन हो जाते हैं।

लिंग आधारित हिंसा और मानव तस्करी पीड़ितों के लिए सेवाओं का एकीकरण या पृथक्करण[13]

- मानव तस्करी और लिंग आधारित हिंसा पीड़ितों के लिए सेवाओं के एकीकरण या पृथक्करण पर हुए फील्ड रीसर्च में 70 (पीड़ितों सहित) साक्षात्कारों से तीन अलग–अलग राय उभरी –1) कुछ उत्तरदाता मानव तस्करी और लिंग आधारित हिंसा पीड़ितों के अनुभवों व आवष्यकताओं के बीच समानता को देखते हुए सेवाओं के एकीकरण के पक्ष में थे, 2) उनमें से कुछ ने सेवाओं को अलग रखने का सुझाव दिया, यह देखते हुए कि दोनों पीड़ितों की जरूरतें और अनुभव अलग–अलग हैं, और यह कि मानव तस्करी पीड़ितों द्वारा अनुभव की जाने वाली हिंसा की तीव्रता लिंग आधारित हिंसा पीड़ितों से अलग है, हालांकि, उन्होंने कानूनी जैसी कुछ सेवाओं के संभावित एकीकरण का सुझाव दिया। सहायता व चिकित्सा सुविधाएं, 3) उत्तरदाताओं के एक अन्य समूह ने अलग–अलग सेवाएं रखने का सुझाव दिया, लेकिन यह भी कहा कि लिंग आधारित हिंसा और मानव तस्करी पीड़ितों दोनों को एक सामान्य स्थान के तहत रखा जाना चाहिए ताकि सेवाओं तक पहुंच सुगम व कम समय लेने वाली हो। साक्षात्कार में लिए गए अधिकांश पुलिस अधिकारियों ने सुझाव दिया कि मानव तस्करी और लिंग आधारित हिंसा पीड़ितों के लिए एक छत के नीचे एक साझा स्थान बनाया जाए, जिसमें विभिन्न विभाग संचालन और सेवाएं प्रदान करें (मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान दर्ज करना, बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश करना, चिकित्सा सहायता, आघात–प्रेरित देखभाल / परामर्श, अनुवादक,

12 विस्तृत जानकारी के लिए अध्याय 4 में खंड 4.4.5 का संदर्भ लें।

13 विस्तृत जानकारी के लिए अध्याय 4 में खंड 4.4.6 का संदर्भ लें।

मुआवजा, आदि), जो पुलिस के लिए प्रक्रियाओं के अनुपालन को आसान बना देगा।

एकीकरण की समझ – उत्तरदाताओं ने मानव तस्करी और लिंग आधारित हिंसा पीड़ितों के लिए सेवाओं के एकीकरण को इस तरह समझा – 1) मानव तस्करी और लिंग आधारित हिंसा पीड़ितों दोनों को एक सामान्य आश्रय गृह में रखना, 2) पीड़ितों को अलग नहीं किया जाना चाहिए, और 3) एकीकृत हस्तक्षेप होना चाहिए। ओएससीसी के लाभों के आधार पर संरचनाओं को डिजाइन किया जा सकता है। सामान्य संरचना विभिन्न प्रकार की हिंसा के शिकार लोगों को उपयुक्त सेवाओं से जोड़ सकती है। लोकेशन में एक ही छत के भीतर अलग–अलग इकाइयाँ संचालित होंगी और पीड़ितों को सेवाओं तक पहुँचने में आने वाली चुनौतियों को कम करना होगा।

- अलगाव की समझ – पीड़ितों की विभिन्न जरूरतों व अनुभवों को देखते हुए, मानव तस्करी और लिंग आधारित हिंसा पीड़ितों के लिए हस्तक्षेप को भी अलग रखा जाना चाहिए। लिंग आधारित हिंसा पीड़ित अपने द्वारा झेली गई हिंसा की प्रकृति के संदर्भ में एक दूसरे से भिन्न हो सकते हैं। लेकिन जब मानव तस्करी पीड़ितों की तुलना की जाए तो लिंग आधारित हिंसा पीड़ितों की जरूरतें उतनी व्यापक नहीं होंगी, खासकर उन मानव तस्करी पीड़ितों की जिन्हें व्यावसायिक यौन शोषण से बचाया गया था। सामान्य आश्रय गृह ऐसे मानव तस्करी पीड़ितों को और कलंकित करेंगे और इसलिए, उन्हें अलग रखा जाना चाहिए। कुछ साक्षात्कारकर्ताओं ने समयबद्ध हस्तक्षेपों का भी सुझाव दिया, अर्थात, कुछ वर्षों के लिए मानव तस्करी और लिंग आधारित हिंसा के पीड़ितों के साथ अलग–अलग व्यवहार करना और धीरे–धीरे उन्हें समाज में उनके भावी पुनर्वास और पुनःएकीकरण हेतु एक सामान्य स्थान में एकत्रित करना।

प्रमुख सिफारिशें

सरकार के लिए

विभिन्न हितधारकों के बीच समन्वय

- मानव तस्करी और लिंग आधारित हिंसा से संबंधित विभिन्न मंत्रालयों व विभागों के बीच ज्यादा बेहतर सुसंगत प्रतिक्रियाओं के लिए केंद्र व राज्य सरकारों के बीच सरकारी स्तर पर समन्वय को मजबूत किया जाएगा।
- सरकार और गैर सरकारी संगठनों का प्रतिनिधित्व करने वाले कई हितधारकों के बीच तथा सेवा प्रदाताओं व कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच मानव तस्करी और लिंग आधारित हिंसा मामलों पर समग्र प्रतिक्रिया हेतु समन्वय, विशेष रूप से वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर के भीतर।

सेवाओं तक पहुंच

- छोटे शहरों व ग्रामीण क्षेत्रों में, विशेष रूप से सीमावर्ती क्षेत्रों में गैर सरकारी संगठनों के साथ साझीदारी में सेवाओं की पहुंच और उपलब्धता सुनिश्चित करना।

- समस्या के पैमाने के आधार पर समान भौगोलिक वितरण सुनिश्चित करने के लिए उन जगहों पर आश्रय गृहों की स्थापना जहां वर्तमान में यह सेवा उपलब्ध नहीं है।
- आश्रय गृहों को निधियों का समय पर वितरण, तथा विभिन्न योजनाओं की आवधिक निगरानी व मूल्यांकन।

सेवाओं का पृथक्करण

- लिंग आधारित हिंसा और मानव तस्करी पीड़ितों के लिए अलग आश्रय गृह, विशेष रूप से व्यावसायिक यौन शोषण से छुड़ाए गए पीड़ितों के लिए, लेकिन एकीकृत सेवाएं एक ही स्थान पर हों, वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर मॉडल के समान, एक ही छत के नीचे।
- लिंग आधारित हिंसा और मानव तस्करी पीड़ितों के लिए संभावित सेवाओं का एकीकरण चिकित्सा व कानूनी सहायता सेवाओं के लिए किया जा सकता है।

सेवा प्रदाताओं के लिए

सेवाओं तक पहुंच

- अधिक सहायता केंद्रध्आश्रय गृहों की स्थापना करके छोटे शहरों, ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों, विशेष रूप से सरकार के साथ साझेदारी में सीमावर्ती क्षेत्रों में सेवाओं की पहुंच और पहुंच सुनिश्चित करना।

पुनर्वास और पुनर्एकीकरण

- ऐसी व्यक्तिगत देखभाल व निकास योजना हो जिससे कि पीड़ितं अपने परिवारों के साथ या उनके बगैर समुदाय के भीतर पुनर्वास (विशेष रूप से आर्थिक) तथा समुदाय में पुनर्मिलन के मद्देनजर आश्रयगृह सेवाएं पाने में सक्षम हो सकें।